संचिका सं0–7 / विविध–28–09 / 2025 – 363 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार द्विवेदी,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
प्राचार्य / अधीक्षक
सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
(दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सहित), बिहार।
प्राचार्य / अधीक्षक
सभी राजकीय आयुर्वेदिक / होमियोपैथी / यूनानी तथा तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार।
निदेशक,
इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना /
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना,
अधीक्षक,
गुरू गोविन्द सिंह, सदर अस्पताल, पटना / प्रभावती अस्पताल, गया /
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
विभागाध्यक्ष सह–नियंत्रण पदाधिकारी, बी०सी०पी०ओ० विकलांग भवन अस्पताल, पटना।
प्राचार्य,
सभी बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज, बिहार / सभी ए०एन०एम० / जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल, बिहार / सभी पारा मेडिकल संस्थान, बिहार / सभी फार्मेसी संस्थान, बिहार।

पटना, दिनांक– 14/10/2025

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विषय शीर्ष 34–01 छात्रवृति / वजीफा में अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2025 तक विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों को CFMS के माध्यम से आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन के संबंध में ।

प्रसंगः– वित्त विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–10581, दिनांक–07.10.2025 का पत्र एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–26.09.2025 को आहूत बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा विषय शीर्ष 34–01 छात्रवृति / वजीफा में अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2025 तक विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों को CFMS के माध्यम से आवंटित की गयी राशि का लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन प्रसंगाधीन पत्र एवं कार्यवाही प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करने की कृपा जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अरविन्द कुमार द्विवेदी)
सरकार के उप सचिव।

19
12

पत्र सं०-कोप्र०/ए०सी०-16/2023 10581/

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

मो0 जमील,
संयुक्त आयुक्त,

सेवा में,

महालेखाकर,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 07-10-2025

विषयः— **स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विषय शीर्ष 34 01 छात्रवृति/वजीफा में अप्रील, 2019 से सितम्बर, 2025 तक विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों को CFMS के माध्यम से आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन के संबंध में।**

प्रसंगः— वित्त विभागीय कार्यवाही ज्ञापांक—10469 दिनांक—26.09.2025

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यवाही ज्ञापांक के संदर्भ में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विषय शीर्ष 34 01— छात्रवृति/वजीफा में अप्रील, 2019 से सितम्बर, 2025 तक विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों को CFMS के माध्यम से राशि आवंटित की गयी है, जिसके कारण उक्त राशि हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं किया गया है। उक्त राशि CFMS के माध्यम से सीधे संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा लाभूकों के बैंक खाते में कोषागार से भुगतान की जाती रही है। CFMS के माध्यम से आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आवंटन की प्रति एवं चिकित्सीय संस्थानों द्वारा लाभूकों की सूची के आधार पर समायोजित करने हेतु वित्त विभागीय सहमति की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त के आलोक में प्रासंगिक कार्यवाही ज्ञापांक की कंडिका '1' के आलोक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त अवधि के दौरान CFMS के माध्यम से आवंटित की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संलग्न CFMS आवंटन की प्रति एवं चिकित्सीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये लाभूकों की सूची के आधार पर विशेष परिस्थिति में स्वीकार करते हुए लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि का समायोजन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

3. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त शीर्ष की राशि के आवंटन हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 7/10/25

(मो0 जमील)
संयुक्त आयुक्त ।

48
11

ज्ञापांक– को०प्र०/ए०सी०–16/2023 10581 पटना, दिनांक– 07-10-2025

प्रतिलिपि– सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मो0 जमील)
संयुक्त आयुक्त ।

10/76

विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक—26.09.2025 को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों में विषय शीर्ष—34 01— छात्रवृति/वजीफा में वित्तीय वर्ष 2019—20 से अद्यतन CFMS के माध्यम से आवंटित की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण—पत्र के समायोजन के संबंध में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :— श्री शंभु शरण, भा०प्र०से० अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
श्री अजय कुमार ठाकुर, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
श्री श्रवण कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग।
श्री लालू प्रसाद मंडल, प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग।

अनुपस्थित :— महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि।

विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों के अभिवादन के साथ बैठक प्रारंभ की गयी।

बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गयी :—

- स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विषय शीर्ष—34 01—छात्रवृति/वजीफा में अप्रील, 2019 से सितम्बर, 2025 तक विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों को CFMS के माध्यम से राशि आवंटित की गयी है, जिसके कारण उक्त राशि हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं किया गया है। उक्त राशि CFMS के माध्यम से सीधे संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा लाभुकों के बैंक खाते में कोषागार से भुगतान की जाती रही है।
- CFMS के माध्यम से विभाग के संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण—पत्र BTC Form-42A में समर्पित किये जाने के पश्चात् महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न करने का निदेश दिया गया है। उक्त अवधि (अप्रील, 2019 से सितम्बर, 2025 तक) का स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं है, अतः उसे उपलब्ध कराना संभव नहीं है। वर्तमान में उक्त शीर्ष की राशि के आवंटन हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।

विमर्श/चर्चा के पश्चात सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिये गये :—

1. स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त अवधि के दौरान CFMS के माध्यम से आवंटित की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संलग्न CFMS आवंटन की प्रति एवं चिकित्सीय संस्थानों द्वारा लाभुकों की सूची के आधार पर विशेष परिस्थिति में स्वीकार करते हुए समायोजन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु महालेखाकार कार्यालय को वित्त विभाग से पत्र प्रेषित किये जाने का निदेश दिया गया।
2. स्वास्थ्य विभाग को निदेशित किया गया कि उक्त अवधि को छोड़कर, उक्त शीर्ष से आगामी निकासी एवं लाभुकों का भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के उपरांत ही की जाय।

पृ० 09

3. अप्रील, 2019 के पूर्व का भी यदि इस तरह का कोई मामला परिलक्षित हो, तो उसका समायोजन (ऑफलाईन) भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किए जाने का निदेश दिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मुकेश कुमार लाल),
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-को0प्र0/ए0सी0-16/2023 10469 पटना, दिनांक 26-09-2025

प्रतिलिपि-**सचिव**, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/**महालेखाकार**, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना/**डॉ0 अरूण कुमार**, प्रभारी पदाधिकारी, ए0सी0/डी0सी0 संग्रहण केन्द्र, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/2025
(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।